National Journal of Multidisciplinary Research and Development
www.newresearchjournal.com
ISSN: 2455-9040
Received: 02-02-2025, Accepted: 01-03-2025, Published: 17-03-2025
Volume 10, Issue 1, 2025, Page No. 40-46

मोब लिंचिंग के कारण, भारतीय समाज पर इसका प्रभाव एवं वर्तमान में बदलता स्वरुप

रतन लाल प्रजापति
शोधार्थी, विधि विभाग, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

अधिकांश मॉब लिंचिंग की घटनाओं में गंभीर अपराध प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक नेताओं और स्थानीय नेतृत्व के राजनीतिक समर्थन, शासन, धन और धर्म की शक्ति से प्रेरित होते हैं, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी अपने प्रभाव से नेतृत्व का समर्थन करने में शामिल हो जाते हैं। इन कारणों से, असामाजिक स्थानिक भीड़ ने गोमांस निर्यातक, गोहत्या करने वाले और बच्चा चोर को बिना वास्तविक कारणों को समझे या अफवाह उड़ाए बेरहमी से मार डाला। साथ ही भीड़ ने जितना संभव हो सके आरोपी को इतनी बुरी तरह से मारा और भीड़ में उपस्थित बाकी दर्शकों ने उस भयानक घटना का आनंद लिया। उनके इस रवैये के पीछे राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के पूर्ण सहयोग के कारण उनके नियंत्रण में पुलिस और न्याय व्यवस्था की स्थिति को वे भली–भांति जानते थे। हमारे देश में ऐसी घटनाएं न केवल हमारे सर्वोच्च संविधान और कानूनी व्यवस्था को बल्कि सामाजिक सद्भाव और मानवाधिकारों को भी खत्म कर रही हैं।

2006 से भारत में लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइटों के करोड़ों उपयोगकर्ता हैं इसलिए फर्जी खबरें और अफवाहें देश के कोने–कोने में आसानी से फैल जाती हैं।

यह लेख मॉब लिंचिंग की घटना, इसके सामाजिक–कानूनी निहितार्थ, विधायी ढांचे, ऐतिहासिक निर्णय और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत हालिया प्रावधानों को आलोचनात्मक जांच के दायरे में लाता है। अध्ययन में इस अपराध की गंभीरता पर जोर दिया गया है कि एक अलग कानून की आवश्यकता है।

मॉब लिंचिंग की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को संबोधित करना शामिल है।

मूल शब्दः मॉब लिंचिंग, लिंचिंग, मॉब लिंचिंग विरोधी बिल

लिंचिंग एक प्रकार की हिंसा है जहां लोगों का एक समूह किसी कथित दोषी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के मार देता है, अक्सर उसके शरीर को पीड़ा देने और गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने के बाद। लिंच का तात्पर्य एक स्व–निहित अदालत से है जो कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी को सजा सुनाती है।

जानबूझकर गैर–न्यायिक हत्या, जिसे अक्सर मॉब लिंचिंग के रूप में जाना जाता है, को किसी कानूनी निरंतर या वैध तरीकों के उपयोग के बिना आधिकारिक पेशेवरों या व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या के रूप में वर्णित किया जाता है। न्यायेतर हत्याएं आम तौर पर निर्विवाद राजनीतिक, श्रमिक, विरोधी, सख्त और सामाजिक हस्तियों को निशाना बनाकर की जाती हैं। इस अपराध में केवल एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपराध करने के लिए पीट–पीटकर मार डालने के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। पीट–पीट कर हत्या किसी एक सदस्य की नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की हुई है, इतनी दर्दनाक मौत किसी भी परिवार के लिए खुशी का सबब नहीं हो सकती। लिंचिंग सिर्फ एक अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति के जीवन को चुरा लेता है और उसे समाप्त कर देता है, यह भी यातना का एक रूप हैय यह मृतक के परिवार के जीवन को भी छीन लेता है, जिससे उनमें से कुछ को गरीबी में छोड़ दिया जाता है यदि परिवार का एकमात्र कमाने वाला मारा जाता है, तो बच्चों को अनाथ और अशिक्षित छोड़ दिया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से चार राज्यों की विधानसभाओं ने मॉब लिंचिंग विरोधी बिल पारित किया है, जिनमें मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड शामिल हैं।

मॉब लिंचिंग का अर्थ है कुछ लोगों द्वारा वैध तरीकों को दरकिनार करना ताकि वे जिसे न्याय मानते हैं उसे लागू कर सकें। पिछले कुछ समय में भारत में मॉब लिंचिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। कई निर्दोषों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और कुछ ने बिना किसी अपराध के अपनी जान भी गंवा दी। मॉब–लिंचिंग के बहुत सारे कारण हैं जैसे उग्रवाद, जातिवाद, डकैती, जबरन वसूली, बलात्कार, रोमियो स्क्वॉयर, राष्ट्र–विरोधी, जादू–टोना, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक कारण। मॉब लिंचिंग की हिंसा कानून के शासन पर सवालिया निशान उठाती है क्योंकि लोगों का एक समूह खुद ही कानून, न्यायाधीश और जल्लाद बन जाता है।

मॉब लिंचिंग में भीड़ का शामिल होना तय है, हिंसा की प्रक्रिया और प्रकार भी कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं, हालांकि कारण, आधार और परिस्थितियां अलग–अलग हो सकती हैं। ये अपराध तब होते हैं जब लोग नफरत और गुस्से से भड़ककर कानून अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी विशेष समुदाय, धर्म, क्षेत्र, जाति या लिंग के प्रति लोगों की नफरत के आधार पर इस हिंसा को घृणा अपराध का नाम दिया गया है। यह सोचना बहुत जरूरी है कि लोग अचानक किसी व्यक्ति को पूरे समाज के लिए हानिकारक क्यों मानने लगते हैं और उसकी हत्या करने का इतना कठोर निर्णय क्यों ले लेते हैं।

मॉब लिंचिंग का अर्थ

लिंचिंग को एक हिंसक कृत्य या कृत्यों की श्रृंखला, या धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, राजनीतिक गठबंधन, या जातीयता के आधार पर हिंसा के कार्य में सहायता करना, मदद करना या लगातार प्रयास करना, चाहे वह अनियोजित हो या योजनाबद्ध, के रूप में वर्णित है। एक भीड़ द्वारा लिंचिंग पूर्वाग्रह, कट्टरता और कानून के शासन के प्रति अनादर का घृणित प्रदर्शन है। गाय, अपहरणकर्ता आदि विभिन्न कारणों से मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें न केवल आम लोग बल्कि पुलिस अधिकारी भी पीड़ित हुए हैं।

भारतीय कानूनी प्रणाली में पहली बार, मॉब लिंचिंग के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान ने लिंचिंग के खिलाफ संरक्षण अधिनियम 2017

का मसौदा तैयार किया, जो लिंचिंग, मॉब और मॉब लिंचिंग के शिकार शब्दों को परिभाषित करता है।

यह भीड़ द्वारा हत्या को गैर–जमानती अपराध मानता है, पुलिस अधिकारी की लापरवाही को अपराध मानता है, सोशल मीडिया पर उकसाने को अपराध मानता है और यह आदेश देता है कि पीड़ितों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर उचित मुआवजा मिले। यह त्वरित सुनवाई और गवाहों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

मॉब लिंचिंग के कारण

भारत में विशेष रूप से राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार आदि में मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। कई निर्दोष लोगों पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया गया है और कुछ ने बिना किसी अपराध के अपनी जान गंवा दी है। मॉब लिंचिंग के बहुत सारे कारण हैं जैसे डकैती, जबरन वसूली, अंतरजातीय विवाह, बलात्कार, जातिवाद, राष्ट्र–विरोध, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक कारण। मॉब लिंचिंग कानून के शासन पर सवालिया निशान उठाती है क्योंकि लोगों का एक समूह खुद ही कानून, न्यायाधीश और जल्लाद बन जाता है।

हाल ही में भारत में बढ़ी मॉब लिंचिंग इंसानों के अजीब बर्बर व्यवहार को दर्शाती है। मॉब लिंचिंग में किसी ऐसे व्यक्ति की चोट या हत्या शामिल है जो लिंचिंग में शामिल भीड़ की नजर में अपराधी है या समुदाय के खिलाफ अपराध का आरोपी है। भारत में हुई कुछ प्रसिद्ध मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस प्रकार हैं –

जाति और धार्मिक पूर्वाग्रह

भारत एक लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष देश है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रावधान है कि हर किसी को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की क्षमता का अधिकार है, जब तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य में हस्तक्षेप नहीं करता है, सभी नागरिकों को यह अधिकार है। वे जो भी धर्म चुनते हैं उसका अभ्यास करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं और उसका प्रसार करते हैं। हालाँकि, जाति, वर्ग, धर्म और अन्य कारकों पर आधारित कई भीड़ की स्थितियाँ रही हैं। 2006 में खेलनजी नरसंहार की सांप्रदायिक हिंसा ने समाज को झकझोर कर रख दिया। पीड़ित परिवार की महिलाओं को जनता के सामने नग्न घुमाकर अपमानित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।

भारत के संविधान की प्रस्तावना इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई घोषित धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा और सम्मान करेगा। भारत में सख्त क्रूरता में आमतौर पर हिंदू और मुस्लिम शामिल हैं, हालांकि बर्बरता की घटनाओं में अविश्वासियों, ईसाई और सिख भी शामिल हैं। इसी तरह मुस्लिम–पारसी दंगों से भरा एक अतीत भी है।

भारत में धर्म के नाम पर हिंसा का इतिहास नया नहीं है और इसकी कहानी तथाकथित धार्मिक लोगों के खून से लिखी गई है। विशेषकर हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक हिंसा कई कारणों से पहचानी जा सकती है।

वर्तमान में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामले अधिकतर धर्मों, प्रथाओं, परंपराओं के नाम पर अन्य धर्मों और जातियों के प्रति असहिष्णुता और नफरत का परिणाम हैं। 2002 में हरियाणा के पांच दलितों को गोहत्या की अफवाह पर पीट–पीट कर मार डाला गया था और मुजफ्फरनगर और कोकराईझार दंगों में भीड़ द्वारा हत्या के कारक के रूप में जाति और धर्म को दर्शाया गया है। सितंबर 2015 में, यूपी के बिदारा गांव में हिंदू भीड़ के एक समूह ने मोहम्मद अखलाक और उसके बेटे दानिश पर गाय के बछड़े को चुराने और उसका वध करने और उपभोग के लिए मांस का भंडारण करने का आरोप लगाते हुए पीट–पीट कर हत्या कर दी थी, जो कि हिंदू भीड़ द्वारा एक मुस्लिम की पीट–पीट कर हत्या करने का पहला मामला था। गाय या गोमांस का नाम. यह घटना दादरी लिंचिंग के नाम से मशहूर हुई और देश को शर्मसार कर दिया।

मार्च 2016 में, मज़लूम अंसारी (32 वर्ष) और इम्तेयाज खान (15 वर्ष) को झारखंड के चतरा जिले में "गौ रक्षक" नामक भीड़ द्वारा बेरहमी से पीट–पीट कर मार डाला गया था। उन पर मवेशी तस्करी का आरोप था लेकिन असल में, उनके पास मवेशी बाजार था और वे आठ बैल बेचने जा रहे थे। जून 2017 में, अपने दो भाइयों के साथ यात्रा कर रहे एक मुस्लिम लड़के को हिंदुओं की भीड़ ने आतंकवादी, पाकिस्तानी, राष्ट्र–विरोधी और गोमांस का उपभोक्ता कहकर मार डाला। शुरुआत में यह बहस ट्रेन की सीट को लेकर शुरू हुई और एक युवा लड़के की मौत में बदल गई।

अगस्त 2018 में रकबर एक सहयोगी के साथ पैदल गायों को ले जा रहा था. गौ तस्कर होने के संदेह में विहिप के गौरक्षकों ने उन पर हमला किया था। पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। हाल की गणना के अनुसार, हाल के वर्षों में 2015 के बाद से लिंचिंग और निगरानी हिंसा की 24 घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 34 व्यक्तियों की हत्या और 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, जिनमें से अधिकांश पीड़ित अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय और डाकू समुदाय से हैं। इनमें से अधिकांश हरियाणा (9 मारे गए, 2 बलात्कार), उत्तर प्रदेश (9 मारे गए), और झारखंड (8 मारे गए), पश्चिम बंगाल (5 मारे गए) में थे।

मुस्लिम समुदाय के साथ–साथ अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी समूहों द्वारा लिंचिंग की धमकी दी गई थी। ईसाइयों पर हमले कम रिपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के आरोपी चर्चों और पुजारियों से जुड़ी घटनाएं जारी हैं। 2016 में, गुजरात राज्य में गौरक्षकों द्वारा एक दलित परिवार के सात सदस्यों पर हमला किया गया, जिसके कारण दलित समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। दलितों के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक जातीय हिंसा, जिसमें बलात्कार, हत्या और भीड़ द्वारा अन्य प्रकार के शारीरिक हमले शामिल हैं। गाय की हत्या का ऊना मामला, जहां गुजरात में (20 जुलाई 2016) एक मृत गाय की खाल उतारने के लिए 7 दलित युवाओं को गौरक्षक दल द्वारा सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए थे, यह गोवंश से संबंधित पहली हत्याओं में से एक था।

चुडैल शिकार

किसी महिला को डायन बताने की प्रक्रिया, विशेष रूप से ओझा द्वारा महिला के डायन होने की पुष्टि करने के बाद, महिला को प्रताड़ित करने और हत्या करने की प्रक्रिया, जिसमें अक्सर सामूहिक उन्माद और लिंचिंग शामिल होती है, भारत में एक ऐतिहासिक समस्या है जो काफी हद तक "चुडैल शिकार" आंदोलन पर आधारित है। डायन शिकार में बुरी जादुई क्षमता रखने के संदेह में एक महिला को यातना देना और मार डालना शामिल है। शिकार में पीड़ितों पर अत्याचार और हत्या में भीड़ की भागीदारी को कई कारणों से दुनिया पर कब्जा करने, स्कूली शिक्षा, पारिवारिक कलह, संपत्ति, तानाशाही, अंधविश्वास, उत्पीडन, अधीनता, यौन प्रगति और मानवीय विशेषताओं को समाप्त करने के रूप में दर्शाया गया है। 2014 के आपराधिक आंकड़ों के अनुसार, 2000 और 2012 के बीच 2,100 से अधिक आरोपी चुडैलों को मार दिया गया था। भारत में, 2000 और 2015 के बीच लगभग 2200 डायन–शिकार के मामले दर्ज किए गए थे। डायन शिकार की सबसे अधिक शिकार जनजाति महिलाएं हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, दुनिया पर कब्जा करने और अंधविश्वास की आड़ में अपना लक्ष्य स्थापित करने के लिए महिलाओं को निशाना बनाया जाता है और उन्हें अन्य लोगों के जादू–टोना में शामिल किया जाता है।

उन स्थानों पर जहां अंधविश्वास और सतर्कता ओवरलैप हो सकती है और छोटी अफवाहें घातक हो सकती हैं, 2014 के अपराध रिकॉर्ड के अनुसार 2000 और 2012 के बीच जादू–टोना

के आरोपी लगभग 2,100 लोगों की हत्या कर दी गई है। 2000 से 2015 तक भारत में डायन–शिकार प्रक्रिया के खिलाफ लगभग 2200 मामले दर्ज किए गए हैं। उन स्थानों पर जहां अंधविश्वास और सतर्कता ओवरलैप हो सकती है और छोटी अफवाहें घातक हो सकती हैं, 2014 के अपराध रिकॉर्ड के अनुसार 2000 और 2012 के बीच जादू–टोना के आरोपी लगभग 2,100 लोगों की हत्या कर दी गई है। 2000 से 2015 तक भारत में डायन–शिकार प्रक्रिया के खिलाफ लगभग 2200 मामले दर्ज किए गए हैं।

2014 में, झारखंड में, एक 50 वर्षीय महिला और उसकी बेटी पर जादू–टोना करने का आरोप लगाया गया, भीड़ ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनकी हत्या कर दी। अगस्त 2015 में, झारखंड में जादू–टोना करने की आरोपी पांच महिलाओं को ग्रामीणों ने अधेड़ उम्र की महिलाओं को उनकी झोपड़ियों से खींचकर पीट–पीटकर मार डाला। अगस्त 2016 में, असम में जादू–टोना करने के संदेह में एक जोड़े को भीड़ ने पीट–पीट कर मार डाला। इलाके की भीड़ ने दंपति को उनके घर से बाहर खींच लिया और सड़क किनारे पीट–पीट कर मार डाला। यह घटना उनकी 10 साल की बेटी के सामने घटी।

जुलाई 2015 में, भीड़ ने एक आदिवासी महिला को उसके घर से खींचकर बाहर निकाला और उसकी हत्या कर दी, क्योंकि एक स्थानीय पुजारी ने कथित तौर पर उसे डायन बताया था और उस पर जादू–टोना करने का आरोप लगाया था, जो गांव में ''बुराई ला रहा था''। जुलाई 2015 में, क्योंझर जिले के मुंडासाही गांव में 40 वर्षीय आदिवासी गुरु मुंडा के परिवार पर जादू–टोना करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। मुंडा, उनकी पत्नी बुधिनी, दो बेटियों और दो बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

राजस्थान राज्य में 2014 में 40 वर्षीय महिला केसी चदाना को डायन घोषित किया गया था। उसके साथी ग्रामीणों ने उसकी पिटाई की और उसे नग्न कर दिया, और उसे जूतों की माला पहनाई, उसके सिर पर भारी पत्थर रखे और गधे पर पड़ोसी गांवों में घुमाया। जिन महिलाओं को डायन करार दिया जाता है उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से उच्च स्तर की हिंसा का सामना करना पड़ता है।

गाय सतर्कता का उदय

मॉब लिंचिंग का सबसे आम कारण गायों की हत्या है। गोहत्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में 2015 में दादरी में मॉब लिंचिंग, 2016 में झारखंड मॉब लिंचिंग, 2017 में अलवर मॉब लिंचिंग और अन्य शामिल हैं। समाज स्वघोषित निगरानीकर्ताओं में तब्दील हो गया है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं और लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में गोमांस पर प्रतिबंध के बाद, गोरक्षक केवल संदेह या अफवाहों के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों पर हमले करने में अधिक साहसी और सतर्क हो गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य सरकार। गाय वधशाला के नियंत्रण या विनियमन के संबंध में कोई भी कानून बनाने या दूध उत्पादक जानवरों के किसी भी व्यापार से संबंधित कोई भी विनियमन बनाने का विशेष विशेषाधिकार है, जिसका अर्थ है कि गाय को एक पवित्र जानवर माना जाता है और राज्य हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा करेगा। दूसरों के ऊपरय इसलिए यह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक धार्मिक मुद्दा बन जाता है। अखलाक की हत्या, गोहत्या या तस्करी की अफवाहों से जुड़े मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं। अक्टूबर 2015 में, गोहत्या की अफवाहों के कारण हुए विरोध प्रदर्शन के बीच, जम्मू और कश्मीर राज्य में एक ट्रक पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। मार्च 2016 में, आदिवासी राज्य झारखंड में गायों की तस्करी के आरोप में दो मुसलमानों की हत्या कर दी गई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया।

अशिक्षा

निरक्षरता के कारण लोग यह सोचने के बजाय अफवाहों पर काम करते हैं कि क्या अच्छा है या क्या गलत है (भिखारियों पर यह सोचकर हमला करना कि वे उनके बच्चों का अपहरण करने आए हैं)।

पर्सनल लॉ

भारत के लोग विभिन्न धर्मों और मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। पारिवारिक उपक्रमों से संबंधित मुद्दों, जैसे, विवाह, अलगाव, प्रगति, इत्यादि के संबंध में व्यक्तिगत कानूनों की विभिन्न व्यवस्थाओं द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। "व्यक्तिगत कानून धर्म पर आधारित हैं और निर्दिष्ट प्रथाओं, नैतिकता, दृ ष्टिकोण, लेखन, धन्य स्थानों, भविष्यवाणियों, नैतिकता, या संघों की बेहतर सामाजिक व्यवस्था के लिए हैं जो मानव जाति को शक्तिशाली, अलौकिक, या अन्य सांसारिक घटकों से जोड़ते हैं। दुनिया भर में अपेक्षित 10,000 अचूक धर्म हैंय हालाँकि, कुल जनसंख्या का लगभग 84: पाँच सबसे बड़े धर्म सभाओं में से एक से जुड़ा हुआ है, विशिष्ट ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या लोगों के धर्म के प्रकार। हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून बहुत जटिल और एक–दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, कभी–कभी उनकी मान्यताएं, विश्वास और विचारधारा भीड़ की हिंसा का कारण बन जाती हैं यानी गोमांस खाना, पूजा के विभिन्न तरीके, विवाह, पहनना आदि।

विवाह

समाज के हर वर्ग के पास विवाह, तलाक, गोद लेने और रखरखाव आदि से संबंधित अपने व्यक्तिगत कानून हैं, लेकिन कभी–कभी दो अलग–अलग अनुयायियों के बीच विवाह भीड़ हिंसा का कारण बन जाता है क्योंकि किसी भी धर्म में इस प्रकार के विवाह के लिए कोई प्रावधान नहीं है। धर्म उनकी अपनी सीमाओं तक ही सीमित है और जब भी प्रेम विवाह के कारण जोड़े द्वारा ऐसी सीमाओं को पार किया जाता है तो यह उनके माता–पिता, रिश्तेदारों, समाज के सदस्यों और आध्यात्मिक नेताओं द्वारा हिंसा का कारण बन जाता है।

अंतर–धार्मिक विवाह

व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार अंतर–धार्मिक विवाह शून्य माना जाता है, लेकिन इस प्रकार का विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत वैध रूप से किया जा सकता है। जब भी समाज में अंतर–धार्मिक विवाह होता है, तो विवाहित जोड़ों के जीवन में विभिन्न संघर्ष भी पैदा होते हैं। सामाजिक संस्थाएँ और उनके नेता जैसे खाप पंचायत के सदस्य, चर्च के पादरी या मस्जिद के मौलवी सतर्क और सक्रिय हो जाते हैं और देश के कानून के विरुद्ध भी 'आदेश' या 'फतवा' सुनाते हैं या जिसके परिणामस्वरूप हिंसा होती है।

एक और मुद्दा जो आजकल ट्रेंड में है वह है 'लव जिहाद' जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को शादी के नाम पर फंसाकर छेड़छाड़ करते हैं, अपनी आबादी बढ़ाते हैं या समाज में हिंदुओं का सम्मान कम करते हैं, कभी–कभी ऐसा भी होता है कथित तौर पर आरोप लगाया गया कि शादी के बाद लड़कियाँ मानव तस्करी का शिकार हो जाती हैं और विदेशी देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, जहाँ उनका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए किया जा सकता है या यहाँ तक कि उन्हें मार भी दिया जाता है और उनके शरीर के अंगों को अस्पतालों में अवैध रूप से बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या मानव अंगों के डीलरों के पास आसानी से उपलब्ध होता है।

अंतरजातीय विवाह और ऑनर किलिंग

विभिन्न संघर्षों और चुनौतियों के बाद भी भारतीय समाज में अंतरजातीय विवाह की अवधारणा नई नहीं है, यह उन जोड़ों के लिए कोई बाधा नहीं है जो इस तरह की उपहासपूर्ण धार्मिक मान्यताओं की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन समाज के तथाकथित नेता कभी भी इस तरह के बदलावों को स्वीकार नहीं करते हैं और यही कारण है कि आजकल हर अखबार खाप में शादी के नियम का विरोध करने पर युवतियों पर हमले या हत्या की खबरों से भरा रहता है। पद। इन हत्याओं को खाप ढांचे के हृदयहीन सिद्धांतों द्वारा आकार दिया जाता है जो उनके जीवन को आदिम बर्बरता से दूर कर देता है। जो महिला इसमें घायल हो जाती है, उस पर नियमित रूप से हमला किया जाता है, पत्थर मारा जाता है, उसे खा लिया जाता है या पीट–पीट कर मार डाला जाता है, काट दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, धीरे–धीरे दम घोंट दिया जाता है या यहां तक कि यह सब खत्म करने के लिए मजबूर किया जाता है।'' ऐसा सम्मान की खातिर किया जाता है. ये हत्याएं अधिकतर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही हैं।

बच्चा चोर/अपहरणकर्ताओं की अफवाहें

बाल अपराधियों के बारे में गपशप के अंश भीड़ की क्रूरता के शुरुआती बिंदु के रूप में प्रदर्शित हुए, जहां व्हाट्सएप या फेसबुक वीडियो क्लिप जैसे सोशल मीडिया को गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और कर्नाटक में प्रसारित किया गया। इसने घरेलू मेहमानों, तर्कसंगत रूप से अनियंत्रित लोगों के समूहों पर कुछ जीवन की गारंटी दी और विभिन्न गिरोह के हमलों को प्रेरित किया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, लगभग डेढ़ साल पहले 10 राज्यों में बच्चों के अपहरण के बारे में गपशप के कारण शुरू हुई गिरोह हिंसा की घटनाओं में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं और कुछ लोग घायल हो गए हैं।

सोशल मीडिया द्वारा अफवाहें फैलाना और हिंसा भड़काना

अपराध दर में वृद्धि में सोशल मीडिया के उपयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के चलते अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई है. मीडिया डेटा के मुताबिक, 2010 से 2018 के बीच 60 में से 35 हमले अफवाहों पर आधारित थे। 2019 में, इस विषय पर संसद में बहस हुई थी, जिसमें भाजपा प्रशासन ने मॉब लिंचिंग में वृद्धि के प्राथमिक कारण के रूप में सोशल मीडिया को दोषी ठहराया था। चूंकि झूठी खबरों पर कोई उचित कानून नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया को फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने से कैसे रोका जाए, यह विधायिका के सामने एक समस्या है।

भीड़ न्याय

कानूनी प्रावधानों और कानून के उल्लंघन के परिणामों की जानकारी न होने, पुलिस की कम सख्ती और कानूनी तंत्र की धीमी प्रक्रिया के कारण, भारत के लोग न्यायाधीश बनने और अपने स्वयं के नियमों और विनियमों को परिभाषित करके स्वयं न्याय करने का प्रयास करते हैं। फरवरी 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने पीटा था। मई 2017 में, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की भीड़ ने एक ई–रिक्शा चालक की पीट–पीट कर हत्या कर दी थी। यह घटना तब हुई जब ड्राइवर ने नशे में धुत दो छात्रों को सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से रोका था, जिसके बाद वे छात्रों के एक समूह के साथ ड्राइवर को पीटने के लिए वापस आ गए थे। जून 2017 में, गुवाहाटी में बच्चा चोर होने के संदेह में कम से कम 250 लोगों की भीड़ ने दो युवकों को पीट–पीटकर मार डाला। 2017 में सिर्फ बच्चा चोर होने के शक में 27 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है. भीड़ के न्याय को कभी–कभी राजनीतिक दलों और समूहों से भी समर्थन मिलता है।

मॉब लिंचिंग का समाज पर प्रभाव

भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत देश बनता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे कानून को अपने हाथ में लेने की चाहत से ग्रस्त हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं दिख रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में लिंचिंग खत्म हो गई है, लेकिन विशाल और विविधता वाले देश भारत में अपराध जारी है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। मानवाधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 2 द्वारा परिभाषित जीवन का अधिकार बताता है कि मानव जीवन की रक्षा कैसे की जाए, जिसे भारत में बिना किसी कीमत के लापरवाही से नष्ट कर दिया जाता है, और समानता और मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई हैय फिर भी, इस नरसंहार को समाप्त करने के लिए कुछ नियमों का मसौदा तैयार किया गया होगा। कुछ राज्य सरकारों ने उन मामलों में भी लोगों को प्रतिपूर्ति की, जिन्हें वे उचित मानते थे, लेकिन यह उन राज्यों और परिवारों के लिए उचित नहीं है जो इसे वहन नहीं कर सकते थे। सबूत और डेटा की कमी के कारण, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो मॉब लिंचिंग को एक विशिष्ट अपराध के रूप में वर्गीकृत करने में असमर्थ रहा हैय आधे से अधिक मामले दर्ज नहीं किए गए हैं लेकिन जनता को ज्ञात हैं। यह कृत्य भयानक है और मानव जीवन संरक्षण के लिए एक विनाशकारी आपदा है, जिसे ऐसी गुंडागर्दी का सामना करने से बचने के लिए हमारी अपनी पसंद की सरकार को वोट देने का लक्ष्य है और इसके बजाय बचाया और संरक्षित किया जाना चाहिए। पीड़ित वह है जो सबसे अधिक कष्ट सहता हैय लोग अपने घरों को बर्बाद कर देते हैं, और उनके परिवार बिखर जाते हैं। अगर परिवार का कमाने वाला मर जाए तो माँ और बच्चे अपने जीवन का क्या करेंगे? वे जीवन भर अज्ञानी और अशिक्षित बने रहेंगे। पीट–पीटकर मार डाले गए व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं हैय कम से कम, वह हिस्सा जिसे पूर्ववत नहीं किया जा सकता वह परिवार के दुख का स्रोत नहीं होना चाहिए।

हाल के उदाहरण

18 दिसंबर को, सिख संगत (सिख अनुयायियों) द्वारा अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा (स्वर्ण मंदिर) में सिख धर्म की पवित्र पुस्तक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनादर करने का प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति की पीट–पीट कर हत्या कर दी गई। युवक गर्भगृह के अंदर कूद गया, जहां पवित्र पुस्तक रखी गई थी, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। उसने कृपाण (तलवार) उठा ली जो पवित्र पुस्तक के पास रखी थी। उस समय तक, मौके पर मौजूद सिख संगत वहां आ गई और उसे पकड़ लिया। खबरों के मुताबिक, संगत ने उन पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपवित्र करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

गाय सतर्कता

चूंकि सरकार ने 26 मई, 2017 को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पूरे भारत में पशु बाजारों में वध के लिए मवेशियों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है, देश भर में गौरक्षक हिंसा की एक नई लहर फैल गई है। जुलाई 2017 में मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध को निलंबित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, इस तरह के भीड़ हमलों में कई निर्दोष मुसलमानों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये घटनाएं प्रकृति

में असंगत प्रतीत होती हैं और अक्सर हिंदुत्व ताकतों की ओर से एक सहज प्रतिक्रिया होती हैं जो गाय की तस्करी और वध की रिपोर्टों से नाराज होती हैं। खुद को गौरक्षकों के रूप में छिपाने वाले सतर्क समूहों को मॉब लिंचिंग के विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

धतकीडीह, झारखंड मॉब लिंचिंग केस, 2019

इस मामले में 24 साल के लड़के तबरेज अंसारी को बाइक चोरी के आरोप में हिंदू भीड़ ने पीट–पीटकर मार डाला था। न्यायेतर हत्याओं का यह मामला सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था, जिसमें एक मुस्लिम लड़के को बेरहमी से पीटा गया था और भीड़ द्वारा एक पेड़ से बांधकर हिंदू देवताओं की स्तुति करने के लिए मजबूर किया गया था। रोते–रोते और रहम की गुहार लगाते हुए उसे लगातार 12 घंटे तक पीटा गया। भीड़ द्वारा उसे पुलिस को सौंपने के बाद, चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

पालघर लिंचिंग 2020

भारतीयों को ही धर्मनिरपेक्षता से निपटना है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दूसरों के प्रति विचारशील या समझदार नहीं हैं, जैसे कि किसी अन्य धर्म के प्रति, लेकिन अनिश्चितता के लिए मृत्यु तक संघर्ष करेंगे। यह मामला अधिक चौंकाने वाला था क्योंकि जब लोग देश भर में स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं और उन्हें रोकने के लिए कोई पुलिस अधिकारी नहीं होते हैं तो लिंचिंग करना आसान होता है, लेकिन यह मामला अप्रैल 2020 में हुआ, जब दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी और देश को लॉकडाउन पर रखा गया था। जिसका मतलब था कि लोगों को अपने घर छोड़ने की अनुमति नहीं थी, जिसका पालन नहीं किया गया क्योंकि लिंचिंग घर पर शांति से नहीं की जा सकती। दो व्यक्तियों, कल्पवृक्ष गिरि और सुशीलगिरि महाराज पर बच्चों के अपहरण और अंग निकालने का आरोप लगने के बाद, उन्हें पीट–पीट कर मार डाला गया। दोनों संत एक अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, और देरी से बचने के लिए, उन्होंने और उनके ड्राइवर ने मुंबई–गुजरात राजमार्ग के बजाय पालघर क्षेत्र से गुजरते हुए गुजरात में एक अलग रास्ता अपनाया। सुचारू यात्रा के लिए इन सावधानियों को बरतने के बावजूद, उन्हें एक गश्ती दल द्वारा रोक दिया गया। जब वे गार्ड से बात कर रहे थे तो ईसाई मीशनरियों और मुसलमानों के एक सतर्क गिरोह ने उन्हें प्रताड़ित किया और उन पर हमला किया। पुलिस को सूचित किए जाने और दोनों व्यक्तियों को अपने वाहनों में ले आने के बाद भी, उन्हें पुलिस वाहन से बाहर खींच लिया गया और पीट–पीट कर मार डाला गया। अब तक 101 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 9 किशोर भी शामिल हैं. राजनेता केवल यह दावा कर रहे थे कि यह ''सांप्रदायिक नहीं'' था, जो कि सच नहीं लगता।

न्याय प्रणाली की समझ की कमी के कारण लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का यह कृत्य कानून के शासन और प्राकृतिक न्याय अवधारणाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

देश भर में, भीड़ की हिंसा अक्सर अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों को सीमित करते हुए बहुसंख्यक मूल्यों का प्रचार करके बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है।

भारत जैसे देश में लोगों द्वारा न्याय को अपने हाथ में लेना अस्वीकार्य है, क्योंकि देश के निवासियों को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इस तरह के लिंचिंग के मामले उनके जीवन के अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार आदि का अपमान हैं।

भारतीय न्याय संहिता और अन्य चुनौतियों में मॉब लिंचिंग का विश्लेषण

भारत में मॉब लिंचिंग एक गंभीर रूप से परेशान करने वाले सामाजिक मुद्दे के रूप में उभरा है, जो हिंसा के क्रूर कृत्यों की विशेषता है जहां बड़े समूहों द्वारा व्यक्तियों को निशाना बनाया जाता है और उन पर हमला किया जाता है। इन भयानक घटनाओं के परिणामस्वरूप अक्सर गंभीर चोटें आती हैं, जिससे पीड़ित स्थायी रूप से घायल हो जाते हैं, या दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो जाती है। मॉब लिंचिंग का बढ़ना एक जटिल घटना है, जो उन कारकों के संगम से प्रेरित है, जिन्होंने समाज के ताने–बाने को नष्ट कर दिया है और भय और असहिष्णुता के माहौल को बढ़ावा दिया है।

सबसे महत्वपूर्ण योगदान कारकों में से एक सांप्रदायिक तनाव की उपस्थिति है, जो लंबे समय से भारतीय समाज की सतह के नीचे उबल रहा है। ये तनाव, जो अक्सर धार्मिक या जाति–आधारित मतभेदों में निहित होते हैं, हिंसा और नफरत भड़काने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों द्वारा आसानी से शोषण किया जाता है। अफवाहें, जो अक्सर सोशल मीडिया की व्यापक पहुंच के माध्यम से फैलती हैं, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं, क्रोध और गलत सूचना की आग को भड़काती हैं। ये अफवाहें, जो अक्सर निराधार होती हैं और जानबूझकर गढ़ी जाती हैं, दहशत और भय की भावना पैदा करती हैं और भीड़ की कार्रवाई को प्रेरित करती हैं।

इसके अलावा, धर्म, जाति, वर्ग या नस्ल पर आधारित सामाजिक पूर्वाग्रह, जो गहराई तक व्याप्त हैं, मॉब लिंचिंग को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे इन पूर्वाग्रहों ने भेदभाव और बहिष्कार की संस्कृति पैदा की है, जिससे कुछ समूह हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हैं। मॉब लिंचिंग के अपराधी अक्सर इन मौजूदा पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं, उनका उपयोग अपने कार्यों को उचित ठहराने और अपने पीड़ितों को राक्षसी बनाने के लिए करते हैं। कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा दिए गए गैर–जिम्मेदाराना बयानों ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

भारत में मॉब लिंचिंग की गंभीरता तत्काल हस्तक्षेप की मांग करती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो हिंसा के मूल कारणों से निपटे और सहिष्णुता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दे। इसमें कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, गलत सूचना के प्रसार से निपटने के लिए मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना और अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देना शामिल है। केवल इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करके ही भारत वास्तव में भीड़ हिंसा के चक्र को तोड़ सकता है और अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित कर सकता है।

कानूनी पहलू

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने एक नया प्रावधान, धारा 103(2) भारतीय न्याय संहिता पेश किया है। यह धारा विशेष रूप से मॉब लिंचिंग के अपराध को संबोधित करती है।

धारा 103(2) भारतीय न्याय संहिता में कहा गया है कि जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार से प्रेरित होकर हत्या करता है, तो उस समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 साल से कम की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा। उन्हें अतिरिक्त रूप से जुर्माना भी भरना होगा। धारा 117 (2) भारतीय न्याय संहिता में भीड़ द्वारा हत्या के दौरान पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाने पर सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

मॉब लिंचिंग के मामलों में हेरफेर

मॉब लिंचिंग की जांच की अखंडता कथित तौर पर जांच अधिकारियों, स्थानीय नेताओं, शव–परीक्षा सर्जनों, सरकारी अभियोजकों और पुलिस द्वारा अपनाई गई कई प्रकार की

चालाकी से खतरे में है। ये रणनीतियाँ सच्चाई को विकृत करती हैं और पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय को कमजोर करती हैं।

एक आम रणनीति यह है कि अपराध को गलत तरीके से वर्गीकृत किया जाए, इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (2) के तहत लिंचिंग के अधिक उपयुक्त आरोप के बजाय धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या के रूप में दर्ज किया जाए। यह जानबूझकर गलत वर्गीकरण अपराध की गंभीरता को कम कर देता है और अपराधियों के खिलाफ मामला कमजोर कर देता है।

जांच के दौरान ही आगे की हेराफेरी होती है। जांच अधिकारी जानबूझकर महत्वपूर्ण सबूतों को छोड़ सकते हैं या विकृत कर सकते हैं, जैसे कि पीड़ित के शरीर पर चोट के निशान, जिसके परिणामस्वरूप जांच रिपोर्ट अधूरी हो सकती है। मनगढ़ंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर और चुनिंदा साक्ष्यों को जब्त करके, शव परीक्षण सर्जन और पुलिस की मिलीभगत से घटनाओं का गलत रिकॉर्ड बनाया जा सकता है।

हेराफेरी गवाहों से निपटने तक फैली हुई है। निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जा सकता है जबकि वास्तविक अपराधियों को बचाया जा सकता है, गवाहों को धमकाया जा सकता है या झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, और वास्तविक आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी हो सकती है या पूरी तरह से टाला जा सकता है। यह व्यवस्थित हेरफेर यह सुनिश्चित करता है कि सही व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाए।

अंत में, मॉब लिंचिंग के पीछे के मकसद को अक्सर दबा दिया जाता है या अस्पष्ट कर दिया जाता है, जबकि अपराध को उजागर करने वाले या पीड़ितों के लिए न्याय मांगने वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा सकते हैं। पूरी जांच बाहरी दबाव और सच्चाई को उजागर करने की प्रतिबद्धता की कमी के कारण खराब हो सकती है। इस तरह की रणनीति न केवल न्याय को नष्ट कर देती है, बल्कि अपराधियों के लिए निडरता और दंडमुक्ति का माहौल भी बनाती है, जिससे पीड़ितों और समाज को न्याय से वंचित कर दिया जाता है।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023 के तहत मॉब लिंचिंग का अपराधीकरण

मॉब लिंचिंग सामुदायिक ''न्याय'' का एक बर्बर कृत्य है, जहां किसी व्यक्ति को कानूनी तंत्र की भागीदारी के बिना, कथित गलती के लिए सजा के रूप में मौत की सजा दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालाँकि, इसे भारतीय आपराधिक कानून के तहत एक अलग अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जिसके कारण अधिनियम के अभियोजन में कई कमियाँ हैं। मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देने की दिशा में कई प्रयास किए गए हैं।

इस तीखी बहस के बीच, भारतीय दंड संहिता, 1860 को बदलने के लिए प्रस्तावित भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 के तहत मॉब लिंचिंग का अपराधीकरण एक बहुप्रतीक्षित कदम है।

यह लेख भारत में मॉब लिंचिंग के अपराधीकरण के कारणों और आवश्यकता की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि, मौजूदा कानून की कमियां, इसके लिए पिछले प्रयासों और प्रस्तावों का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करने का प्रयास करेगा, इसके बाद भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 के खंड 103(2) और 117(4) के तहत प्रस्तावित कानून का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मॉब–लिंचिंग

भारतीय न्याय संहिता 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश की गई थी। विधेयक अधिनियमित होने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 को निरस्त कर देगा। फिलहाल इसे विचार के लिए स्थायी समिति के पास भेजा गया है।

अन्य बदलावों के अलावा, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता का खंड 103(2) मॉब लिंचिंग के लिए सजा का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है, जब कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा दी जाएगी या आजीवन कारावास या सात साल से कम अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि, मासूका की धारा 2(डी) के पिछले प्रयास के तहत 2 या अधिक व्यक्तियों की सीमा के विपरीत, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता के खंड 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, 5 या अधिक व्यक्तियों को इस अधिनियम में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, नया प्रावधान लगाए जाने वाले जुर्माने की न्यूनतम राशि का प्रावधान नहीं करता है। पहले पेश किए गए विधेयकों में, जैसे झारखंड भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक की धारा 8(3), 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। मॉब लिंचिंग के संबंध में अधिकारियों के कर्तव्यों और देनदारियों से संबंधित प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं है। इसी तरह, पीड़ित मुआवजा योजना और पीड़ित सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है, जो विशेष रूप से मॉब लिंचिंग के परिणामस्वरूप गंभीर चोट के लिए प्रासंगिक है। दंड संहिता के दायरे को देखते हुए, तहसीन पूनावाला और अन्य विशेष विधेयकों के तहत मॉब लिंचिंग की रोकथाम की दिशा में उठाए गए कदम भी भारतीय न्याय संहिता में मौजूद नहीं हैं।

इसके अलावा, मॉब लिंचिंग को घृणा अपराध के रूप में वर्गीकृत करने की कई मांग के बावजूद, नई दंड संहिता इस पहलू पर चुप है। ये कृत्य न केवल व्यक्तियों के विरुद्ध हैं बल्कि समाज के भी विरुद्ध हैं क्योंकि ये एक विशेष समूह के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित हैं। घृणा अपराध असहिष्णुता, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह का परिणाम हैं जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लिंचिंग को घृणा अपराधों की श्रेणी में रखने का सक्रिय कदम लिंचिंग के खतरे का अधिक गंभीरता से मुकाबला करने में मदद करेगा।

मॉब लिंचिंग को एक विशिष्ट अपराध के रूप में अपराधीकरण करना समाज के लिए बढ़ते खतरे को स्वीकार करने और मान्यता देने की दिशा में एक कदम है। भारतीय न्याय संहिता इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक ढांचे से कम है। सजा मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई का केवल एक पहलू है, जो अधिनियम के लागू होने के बाद उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय दंड संहिता की सीमाओं को देखते हुए, शायद मासुका और अन्य राज्य विधेयकों में परिकल्पित एक विशेष कानून सभी स्तरों पर भीड़ हत्या का मुकाबला करने में अधिक प्रभावी हो सकता है, यानी निवारक, दंडात्मक और उपचारात्मक।

निष्कर्ष

मॉब लिंचिंग एक ऐसा अपराध है जो भविष्य में हमारे समाज के लिए खतरा होगा। इसलिए सरकार को कम से कम उन राज्यों में गंभीरता से पहल करनी चाहिए जहां घटना दर बहुत अधिक है। फेसबुक, व्हाट्स ऐप के माध्यम से फर्जी खबरें और अफवाहें भी आज के समाज में एक गंभीर समस्या है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत मॉब लिंचिंग को एक अलग अपराध के रूप में अपराध घोषित करना अच्छा कानून है। लेकिन कानून को सजा से कहीं आगे जाना चाहिए और पीड़ितों की रोकथाम और पुनर्वास का कार्य स्वयं करना चाहिए। इस खतरे को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए मानव सुरक्षा कानून में उल्लिखित एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग कानून का पालन करने वाले नागरिक पर हमला करने के अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि यह कानून के शासन और सामान्य रूप से समाज के लिए भी खतरा है। इसके लिए

विधायिका, न्यायपालिका, कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज के तीव्र और संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।

संदर्भ –

1. भाटिया, जी. (2016), ऑफेंड, शॉक ऑर डिस्टबर्रू फ्री स्पीच अंडर द इंडियन कॉन्स्टिटट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. चक्रवर्ती, भास्कर, ए लिंचिंग इन डिजिटल साउथ, द इंडियन एक्सप्रेस, दिनांक 17–7–2018।
3. हसन, जेड. (2011), समावेशन की राजनीतिरू जातियां, अल्पसंख्यक और सकारात्मक कार्रवाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
4. जयसिंह, इंदिरा, लिंचिंग मस्ट एंड पर दोषारोपण करना, इकोनॉमिक टाइम्स, 22–28 जुलाई, 2018।
5. ओझा एम. (2017), भारत में भीड़ हिंसा और लिंचिंगरू लोकतंत्र के लिए खतरा। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, खंड–8 पृष्ठ 70–74
6. भास्वत प्रकाश, मॉब लिंचिंगः ए क्रिमिनल इनजस्टिस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, एसएसआरएन (15 अप्रैल, 2022), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3833464
7. सौरभ कुमार, ड्राफ्ट लॉ ऑफ मानव सुरक्षा कानून, आईपीएलईडर्स (15 अप्रैल, 2022), https://blog.ipleaders.in/draft-law-manav-suraksha-kanoon-masuka-national-campaign-mob-lynching/.
8. मनोब चौधरी, काऊ विगलांटिस्मः फैमिलीज कांटेस्ट झारखण्ड गवर्नमेंट'स क्लेम्स ऑन लेटहर लिंचिंग, 2016. Scroll.in. https://scroll.in/article/ 805548/latehar-lynchings-good- step-to-stop-cow-slaughter
9. लिंचिंग विदाउट एंडः फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इंटू रिलीजियस मोटिवेटेड विजिलेंट वायलेंस इन इंडिया, सिटीजन्स अगेंस्ट हेट द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, सितंबर 2017, https://citizensagainsthate.org/wp-content/uploads/2018/06/Lynching-Without-End-Reprint.pdf
10. अपूर्वानंद. 2017, '' व्हाट इज बिहाइंड इंडिया'स एपिडेमिक ऑफ मोब लिंचिंग?'' अल जजीरा, 6 जुलाई 2017, https://www.aljazeera.com/opinions/2017/7/6/what-is-behind-indias-epidemic-of-mob-lynching
11. लक्ष्मी, 2005, ए ग्लोबल जर्नल ऑन सोशल एक्सकलशन, खंड 1, संख्या 2, लिंग और जाति भेदभाव की विरासत (अक्टूबर 2020), पृष्ठ 121–134.